

**\*प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-\***

**\*(पत्रांक-78/2025 दिनांक 19.03.2025)\***

**\*दिनांक-19.03.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-\***

**\*थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा आत्महत्या के लिये उकसाने आदि के मामले में तीन नफर वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-\***

दिनांक 16.03.2025 को आवेदक दिलीप शर्मा पुत्र किशोर शर्मा निवासी गोडईता श्रीराम थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर द्वारा थाना तमकुहीराज पर सूचना दिया गया कि उसके गांव के रहने वाले सूरज कुशवाहा पुत्र सदावृक्ष कुशवाहा अपने साथियों अमित गोंड पुत्र मुन्नीलाल गोंड व अनिल कुशवाहा पुत्र रविन्द्र कुशवाहा के साथ मिलकर उसकी पुत्री को शादी के नियत से बहलाफुसला कर भगा ले जाया गया है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा थाना तमकुहीराज पर मु0अ0सं0 103/2025 धारा 87 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीड़िता की तलाश किया जा रहा था कि ग्राम लतवाचट्टी नहर में एक युवती का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आस-पास के लोगों से पहचान करायी गयी तो युवती की पहचान दिलीप शर्मा पुत्र किशोर शर्मा के पुत्री(उम्र लगभग 18 वर्ष) के रूप में हुई। पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया। जांच एवं पूछताछ के दौरान यह तथ्य सामने आये कि अभियुक्त सूरज कुशवाहा द्वारा अपने साथियों अमित गोंड व अनिल कुशवाहा पता उपरोक्त के साथ मिलकर युवती(मृतका) पर शादी करने का दबाव बना रहा था। जिसपर युवती ने कई बार शादी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। जिससे अभियुक्त सूरज कुशवाहा अपने साथियों के साथ मिलकर युवती को शादी के नियत से बहला-फुसलाकर भगा ले जाया गया, जहाँ उसने फिर से उस पर शादी का दबाव डाला। जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो



Edit with WPS Office

गयी। शादी के दबाव से तंग आकर युवती ने आत्महत्या कर लिया। पुलिस द्वारा सूरज और उसके साथियों को घटना मे प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल (UP57AN3213) के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा उपरोक्त में धारा 108 बीएनएस की बढोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*पंजीकृत अभियोग:-\***

मु0अ0सं0 103/2025 धारा 87 बीएनएस बढोत्तरी धारा 108 बीएनएस थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-\***

1. सुरज कुशवाहा पुत्र सदावृक्ष कुशवाहा निवासी गोड़इता श्रीराम थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
2. अमित गोंड पुत्र मुन्नीलाल गोंड निवासी गोड़इता श्रीराम थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
3. अनिल कुशवाहा पुत्र रविन्द्र कुशवाहा निवासी गोड़इता श्रीराम थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तारी करने वाली टीम:-\***

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार शर्मा थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2-उ0नि0 चन्द्रशेखर राम तमकुहीराज थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 3-उ0नि0 मृत्युजंय सिंह थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 4-हे0कां0 हेमन्त यादव थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 5-कां0 सुरेश चौहान थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 6-कां0 धनंजय कुमार थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

**\*थाना चौराखास पुलिस द्वारा चोरी के 1720/- रुपये व घटना में प्रयुक्त एक लोहे का सब्बल के साथ शातिर चोर को किया गया**



## **गिरफ्तार-\***

थाना चौराखास पर दिनांक 22.02.2025 को वादी हृदयानन्द सिंह बघेल पुत्र स्व० सुखदेव सिंह ग्राम नदवा विशुनपुर थाना चौराखास जनपद कुशीनगर द्वारा चोरी के संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना चौराखास पर मु०अ०सं० 28/2025 धारा धारा 331(4),305 बी०एन०एस० में अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम सक्रिय थी। जिसके क्रम में आज दिनांक 19.03.2025 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा चोरी की घटना का अनावरण करते हुए घटना से संबंधित अभियुक्त धर्मेन्द्र दूबे उर्फ चन्द्रशेखर पुत्र रामकुवर दूबे साकिन बकुलहर कला थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके निशान देही पर घटना में प्रयुक्त एक सब्बल लोहे का व चोरी के 1720/- रुपये बरामद किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में धारा 317(2) बी०एन०एस० की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## **\*पंजीकृत/अनावरित अभियोग-\***

मु०अ०सं० 28/2025 धारा 331(4),305,317(2) बी०एन०एस० थाना चौराखास जनपद कुशीनगर।

## **\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

धर्मेन्द्र दूबे उर्फ चन्द्रशेखर पुत्र रामकुवर दूबे साकिन बकुलहर कला थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

## **\*अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-\***

01. मु०अ०सं० 141/1993 धारा 461,411 भा०द०वि० थाना तरकुलवा जनपद देवरिया
02. मु०अ०सं० 107/1994 धारा 457/380 भा०द०वि० थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।
03. मु०अ०सं० 74/1994 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।



04. मु0अ0सं0 60/2009 धारा 461,411 भा0द0वि0 थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।
05. मु0अ0सं0 139/1995 धारा 379,411 भा0द0वि0 थाना सेवरही जनपद कुशीनगर।
06. मु0अ0सं0 144/1995 धारा 457/380/411 भा0द0वि0 थाना सेवरही जनपद कुशीनगर।
07. मु0अ0सं0 35/2021 धारा 379,411,414 भा0द0वि0 थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।
08. मु0अ0सं0 57/2021 धारा 379,411 भा0द0वि0 व 179(1) मोटरयान अधिनियम थाना कसया कुशीनगर।

#### **\*विवरण बरामदगी-\***

- 1- घटना में प्रयुक्त एक सब्बल लोहे का
- 2- चोरी के 1720/- रुपये नकद

#### **\*गिरफ्तारी करने वाली टीम-\***

01. प्र0नि0 श्री विद्याधर कुशवाहा थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 रामप्रगट मिश्र थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
03. उ0नि0 नबीस अहमद थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
04. उ0नि0 सुरेन्द्र यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
05. का0 मनोज यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
06. का0 चन्द्रशेखर प्रजापति थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

**\*थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-\***



जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.03.2025 को थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा एसटी नं० 746/2024, मु०अ०सं० 281/2023 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर से संबंधित वारण्टी संजीव गुप्ता पुत्र विजयमल गुप्ता साकिन कटहरी बाग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### **\*पंजीकृत अभियोग-\***

मु०न० 746/2024, मु०अ०सं० 281/2023 धारा 363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तार अभियुक्त-\***

संजीव गुप्ता पुत्र विजयमल गुप्ता निवासी कटहरी बाग थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

### **\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

- 1.उ०नि० विकास मौर्या चौकी प्रभारी समउर थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
- 2.कां० सफदर अली थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर

### **\*थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी को किया गया गिरफ्तार-\***

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.03.2025 को थाना कप्तानगंज पुलिस द्वारा मु०नं० 310/2019 धारा 366/376 भा०द०वि० व धारा ३/४ पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी ऋषिकेश उर्फ गोलू पुत्र कैलाश साकिन फर्दमुण्डेरा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**\*अभियोग का विवरण-\***

मु0नं0 310/2019 धारा 366/376 भा0द0वि0 व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार वारण्टी-\***

ऋषिकेश उर्फ गोलू पुत्र कैलाश साकिन फर्दमुण्डेरा थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

**\*गिरफ्तार करने वाली टीम:-\***

01. प्र0नि0 धनवीर सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
02. उ0नि0 श्री शैलेश यादव थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर
03. उ0नि0 श्री विजय कुमार सिंह थाना कप्तानगंज जनपद कुशीनगर

**\*शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-\***

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 24 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

**\*कार्यवाही एक नजर में=\***

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-70 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-40, व्यक्ति-128
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(06)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-30)



\*सोशल मीडिया सेल\*  
\*जनपद कुशीनगर\*



Edit with WPS Office